 J.O.Code No.-UP 1573
CNR no UPJL01-003279-2018

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।

जी0एस0टी0 नं0 07 सन 2017

सरकार प्रति जावेद कुरौशी पुत्र जहूर कुरैशी,
निवासी आराजी लेन कसाई मण्डी कोंच,
जिला जालौन।

मु0अ0सं0 141/2016
धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप(निवारण) अधिनियम 1986,
थाना कैलिया, जिला जालौन।

.......(अभियुक्त)

निर्णय

अभियुक्त जावेद कुरैशी का विचारण प्रश्नगत मामले में किया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है, जिसमे वह गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसके विरूद्ध एस.एच.ओ. ब्रजराज सिंह, थाना कैलिया, जिला जालौन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी दर्ज कराने के पूर्व गैंगचार्ट तैयार किया गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा अनुमोदित कराया गया है। इस प्राथिमिकी पर मामले के विवेचना की गयी। विवेचना के क्रम साक्षियों के साक्ष्य आदि अंकित करने के उपरांत संबंधित विवेचक द्वारा आरोप पत्र मु0अ0सं0 141/2016, अंतर्गत उ0प्र0 गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम में अभियुक्तगण शफीक, काले कुरैशी, इफान कुरैशी, जावेद कुरैशी के विरूद्ध प्रेषित किया गया।

अभियुक्त जावेद कुरैशी के विरूद्ध मु0अ0सं0 87/2016, धारा 379,411, भा0द0सं0, मु0अ0सं0 88/2016, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 78/2016, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0असं0 92/2016, धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अपराध पंजीकृत हैं।

अभियुक्त जावेद कुरैशी द्वारा विचरण के क्रम में जुर्म इकबाल का अपराध संस्वीकृति का प्रार्थनापत्र जरिये जेल अधीक्षक इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश से दिनांक 16.03.2023 से जिला कारागार उरई में

निरूद्ध है। प्रार्थी इसी वाद में पूर्व में भी दिनांक 18.07.2016 से दिनांक 29.01.2018 तक नियद्ध रहा है। प्रार्थी गरीब है तथा परिवार में कोई व्यक्ति पैरोकारी करने के लिये नहीं है। प्रार्थी विषयांकित प्रकरण में अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना की है कि जेल में बितई गई अवधि तथा कम से कम सजा के आधार पर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

अभियुक्त को संस्वीकृति के परिणाम से अवगत कराया गया, उसके उपरांत ही जुर्म इकबाल किये जाने का कथन किया है।

अभियुक्त जावेद कुरैशी की ओर से प्रस्तुत जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र के आधार पर उसे दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त नितिन तिवारी उर्फ अपूर्व के विरूद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम का आरोप है। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों की स्वयं संस्वीकृति की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त जावेद कुरैशी को धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है व उनका धारा 309 दं0प्र0सं0 का अभिरक्षा वारण्ट निरस्त समझा जाए। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हो।
दिनांक–11.07.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

दिनांक–11.07.2023

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। अपराध की प्रकृति को देखते हुए जहॉ अभियोजन पक्ष द्वारा कड़े से कड़े दण्ड दिये जाने पर बल दिया गया है, वहीं अभियुक्त द्वारा प्रार्थना की गयी है कि वह एक गरीब व्यक्ति हैं, प्रार्थी/अभियुक्त के प्रति सहानूभूति करते हुए कम–से–कम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

न्यायालय द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त दिनांक 18.07.2016 से 29.01.2018 एवं दिनांक

16.03.2023 से अब तक जिला कारागार उरई में निरूद्ध रहा। अभियुक्त द्वारा अपराध संस्वीकृति स्वेच्छया से की गयी है तथा अच्छे नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करने का कथन किया है। न्यायालय निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

अभियुक्त जावेद कुरैशी पुत्र जहूर कुरैशी को मु0अ0सं0 141/2016 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कैलिया, जिला जालौन के अपराध में 02 वर्ष का कारावास तथा मुव0–5,000/रू0 (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट तैयार कर अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 11.07.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांकः 11.07.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।